(17) इसके अलावा, हमने स्थल योजना का अध्ययन किया है जो उस स्थिति को दर्शाती है जो अब दिनांकित शपथ पत्र दाखिल करने और रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद मौजूद है, इन रिट याचिकाओं में विचाराधीन भूमि जारी/आवंटित भूमि के बीच स्थित है और इसका उपयोग उस भूमि के द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई है।सूर्य रोशनी लिमिटेड (2003 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5006) के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार की गई शर्तों के आलोक में योजना, अवसंरचनात्मक सुविधाएं/सेवाएं भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगी।

(18) इस प्रकार रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।इस आदेश की प्रति अन्य मामलों के अभिलेख पर रखी जाए।

एम. जैन

एम. एम. कुमार और ए. एन. जिंदल से पहले, जे. जे.

लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

जरनैल सिंह और अन्य,-2009 का उत्तरदाता सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13218

15 जुलाई, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,15,16,16 (1), 16 (4-ए), 16 (4-बी), 73,77 (3), 226 और 335-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985-धारा 21-भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961-धारा 3 और 4-कर निरीक्षकों (सामान्य श्रेणी) ने आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अनुसूची जाति श्रेणी के निरीक्षकों के मामलों पर उनकी अपनी योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए कैट निर्देश जारी करके आदेश पारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी के पद का उपयोग रोस्टर पॉइंट पदोन्नति, छूट योग्य योग्यता पदोन्नति और अन्य रियायतों के खिलाफ किया गया है-निर्देश जारी किए गए-याचिका का निपटारा किया गया।

यह विवाद कि क्या पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान भारत के राज्य/संघ द्वारा बिना कोई शर्त लगाए किया जा सकता है, इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझा लिया गया है।

लछमी नारायण गुप्ता और अन्य बनाम जरनैल सिंह

और अन्य (एम. एम. कुमार, जे.)

बनाम यू. ओ. आई. 1992 सप.(3) एससीसी 217।यू. ओ. आई. बनाम वीर पाल सिंह चौहान (1995) 6 एस. सी. सी. 684 और अजीत सिंह जानुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) 2 एस. सी. सी. 715 के मामले में "कैच-अप-प्रिंसिपल" का प्रतिपादन किया गया था।इसके अलावा यह माना गया कि आरक्षण जाति को पार करने के लिए आवश्यक है न कि इसे बनाए रखने के लिए।आरक्षण का उपयोग सीमित अर्थों में किया जाना चाहिए अन्यथा यह जातिवाद को कायम रखेगा।यदि किसी अधिनियम में अत्यधिक आरक्षण पाया जाता है, तो न्यायालय इस तरह के अधिनियम को रद्द कर सकता है।जो खोजने की आवश्यकता है वह पिछड़े लोगों के लिए न्यायाधीश आगे के लिए समानता और पूरी प्रणाली के लिए दक्षता के बीच एक स्थिर संतुलन है।इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई आरक्षण और पदोन्नति नहीं की जा सकती और न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।इसके अलावा निर्देश दिया कि आयकर निरीक्षक की वरिष्ठता और पदोन्नति आरक्षण और पदोन्नति के किसी भी तत्व के बिना की जाएगी।

(पैरा 31,32,34 और 35)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील विकास कुथियाला के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एम. के. तिवारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता दीपक सिब्बल।

रेनू बाला शर्मा, वरिष्ठ पैनल वकील, यू. ओ. आई., प्रतिवादी संख्या 5 के लिए।

ए. एस. ग्रेवाल, सीनियर पैनल काउंसल, आयकर विभाग, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए।

एम. एम. कुमार जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिका सामान्य श्रेणी से संबंधित आयकर निरीक्षकों द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ द्वारा क्रमशः 2009 के ओ. ए. संख्या 519-पी. बी.-2007 और आर. ए. संख्या 24 में पारित किए गए 11.12.2008 (पी-6) और 7.5.2009 (पी-9) के आदेशों के खिलाफ दायर की गई है।न्यायाधिकरण ने अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित आयकर निरीक्षकों के मामलों को उनकी 'अपनी योग्यता' के आधार पर आयकर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी के पदों का उपयोग किया जाता है, जबकि रोस्टर पॉइंट पदोन्नति, योग्यता पदोन्नति में ढील और अन्य रियायतें दी जाती हैं।आवश्यक परिणाम यह है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित निरीक्षकों के लिए सामान्य श्रेणी की सीटें कम हो रही हैं और अनुसूचीत जाति श्रेणी के लिए अधिक पद उपलब्ध हो रहे हैं।न्यायाधिकरण ने निर्देश जारी किए हैं कि

संविधान के 85 वें संशोधन के लागू होने के बाद से उनके मामलों पर विचार करना।

(2) अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले और आयकर निरीक्षकों के रूप में काम करने वाले सर्वश्री जरनैल सिंह, बलबीर सिंह और सोम प्रकाश ने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. संख्या 519-पी. बी.-2007 दायर किया, जिसमें दिनांक 5.7.2007 (पी.1).यह परिपत्र और दिनांक 5.7.2007 के आदेश के माध्यम से प्रसारित किया गया था कि आयकर निरीक्षकों की एक पात्रता सूची, जिन्हें सतर्कता द्वारा उनकी मंजूरी के बाद संबंधित वर्ष 2007-08 के लिए आयकर अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना था, वितरित की गई थी।आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने दावा किया कि 1997 से दिसंबर, 2006 तक विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा आयोजित कार्यवाही के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को आरक्षण के नियम का पालन करके पदोन्नत नहीं किया गया था।जिन अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया था, वे वे व्यक्ति थे जिन्हें अपनी योग्यता और श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिली थी, न कि आरक्षण का लाभ देने के कारण।ओ. एम. सं. 36028/17/2001 एस्टेट (आर.), दिनांक 11.7.2002 (आर.-1) का उल्लेख करते हुए, आवेदक-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 ने न्यायाधिकरण के समक्ष आंदोलन किया कि उन्हें सामान्य श्रेणी के पद से संबंधित अनारक्षित रोस्टर अंकों के साथ समायोजित किया जाना है और फिर आरक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित रोस्टर अंकों को आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों में से भरा जाना आवश्यक है।यदि यह अभ्यास किया जाता है तो आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लाभान्वित होने की संभावना थी।मूल आवेदन दाखिल करने से पहले, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वर्ष 1997 के दौरान आयकर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डी. पी. सी. की कार्यवाही के साथ-साथ पैनलों की प्रतियों के बारे में जानकारी मांगी।तदनुसार उन्हें 11.6.2007 और 25.4.2007 (P-2 और P-3) पर आपूर्ति की गई थी। उक्त जानकारी से निम्नलिखित तथ्य और आंकड़े सामने आते हैंः-

“में काम करने वाले आई. टी. ओ. की कुल ताकत

322

उत्तर पश्चिम क्षेत्र

वर्तमान में कार्यरत अनुसूचित जाति श्रेणी के 59 * आईटीओ का नाम और कुल संख्या

[*सूची में 3 अनुसूचित जाति श्रेणी के अधिकारी शामिल नहीं हैं जिन्हें अपने योग्यता उम्मीदवारों के रूप में पदोन्नत किया गया था।]”

(3) आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा आगे कहा गया है कि दिनांक 1 की बैठक की कार्यवाही के अनुसार, आई. टी. ओ. की स्वीकृत संख्या 329 कर दी गई थी।46 रोस्टर अंकों के मुकाबले, अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा 62 अंकों पर कब्जा किया जा रहा था, जिसमें 3 अनुसूचित जाति श्रेणी के अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें उनकी योग्यता/वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नत किया गया था।इस तरह, केवल 59 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार आरक्षित अंकों के खिलाफ विभाग में काम कर रहे थे, जो अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे से अधिक था।ओ. ए. के पैरा 3 (ix) में, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उन उम्मीदवारों का विवरण भी प्रस्तुत किया है जिनका चयन जुलाई 1997 से अक्टूबर 2000 की अवधि के दौरान उनकी 'अपनी योग्यता' के आधार पर किया गया था।उन्होंने दावा किया कि 42 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों में से 20 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को उनकी 'अपनी योग्यता' के आधार पर और योग्यता आदि के संबंध में कोई छूट दिए बिना आईटीओ के पदों पर पदोन्नत किया गया था क्योंकि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मानक के साथ आईटीओ परीक्षा उत्तीर्ण की थी।आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने भी 7.12.2006 (P-4) और 20.7.2007 (P-5) दिनांकित अभ्यावेदन दायर किए जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के जिन उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के अनुसार पदोन्नति प्राप्त की है, उन्हें सामान्य श्रेणी से संबंधित पदों का सेवन करने वाला माना जाना चाहिए और उनके कोटे के अनुसार अतिरिक्त अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की पदोन्नति का आदेश दिया जाना आवश्यक है।

(4) आधिकारिक प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में न्यायाधिकरण के समक्ष यह रुख अपनाया गया कि आयकर निरीक्षकों की पात्रता सूची उन उम्मीदवारों को शामिल करके तैयार की गई थी जो भर्ती नियमों के संदर्भ में पात्र थे और जो विचार के क्षेत्र के भीतर थे।इस सूची में वे अधिकारी शामिल थे जो तीन साल की सेवा में थे और जिन्होंने आयकर अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी।यह दावा किया गया है कि निर्धारित रोस्टर अंकों की तुलना में अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों का पहले से ही अधिक प्रतिनिधित्व था और इसलिए, विचार के क्षेत्र को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।'ओन मेरिट' की अवधारणा को ओ. एम. नंबर 36028/17 2001-ए. एस. टी. के माध्यम से प्रचार में पेश किया गया था।(), दिनांक 11.7.2002 (R-1)।एक अन्य ओ. एम. सं. 36028/17 2001-एस्ट।(आर. एस.), दिनांक 31.1.2005 (आर-2) जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि ओ. एम. दिनांकित 11.7.2002 इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के दावे का विरोध करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया गया है।

(5) ओ. ए. के पैरा 3 (ix) के जवाब में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा नामित 20 अधिकारियों में से 14 अधिकारियों को दिनांक 1 के निर्देश जारी करने से पहले आयोजित डी. पी. सी. में पदोन्नत किया गया था।आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए, अधिकारी को उस संवर्ग में पुष्टि के लिए आयकर निरीक्षक के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा बताए गए अधिकारियों के संबंध में, यह कहा गया है कि श्रीमती. रितु वारिया ने आयकर निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा को आसान मानकों के साथ उत्तीर्ण किया था, इसलिए उन्हें आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए 'स्वयं की योग्यता' वाले उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाता था।शेष अधिकारी, जिन्हें डी. पी. सी. में पदोन्नत किया गया था, उन्हें 'अपनी योग्यता' के आधार पर दिनांक 11.7.2002 जारी किए जाने के बाद पदोन्नत किया गया था, यह बताया गया है कि उन्हें विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए आसान मानकों का लाभ देकर पदोन्नत किया गया था।-

वरिष्ठ विषय का नाम (अंक) और वह वर्ष जिसमें शिथिल मानक का लाभ मिलता है

Sr.No	Name of Officer	
1.	बलदेव राज	वर्ष 1996 में बुक कीपिंग (55)
2.	इशर दास	1996 में एल. टी. (88)
3.	रामजी दास	वर्ष 1994 में ओटी (54)
4.	रोशन लाल	ओटी (55) वर्ष 1994
5.	गुरचरण सिंह	बी. के. (56) वर्ष 1996

(6) में यह प्रस्तुत किया गया है कि 20 उम्मीदवारों में से जिन्हें आवेदक-उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के अनुसार 'स्वयं की योग्यता' वाले उम्मीदवारों के रूप में माना जाना था, 14 उम्मीदवारों को डी. पी. सी. में पदोन्नत किया गया था, जो दिनांक 1 के निर्देश जारी करने से पहले आयोजित किए गए थे और 6 उम्मीदवार, जिन्हें निर्देश जारी करने के बाद आयोजित डी. पी. सी. में पदोन्नत किया गया था, ने शिथिल मानकों का लाभ उठाया था।इसलिए, उन 20 उम्मीदवारों को 'अपनी योग्यता' वाले उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जा सकता था।

(7) प्रत्युत्तर में, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह किया कि डी. पी. सी. की तारीख तक अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित आई. टी. ओ. के 46 पदों की कमी थी और के आधार पर डी. पी. सी. के समय अनुसूचित जाति की श्रेणी में 49 पद कम थे।

पोस्ट आधारित रोस्टर प्रणाली।उनके अनुसार, वर्ष 1996 से 2007 के दौरान कुल 430 उम्मीदवारों को आईटीओ के पद पर पदोन्नत किया गया था।डी. पी. सी. की कार्यवाही 23.4.1996,11.11.1997,13.11.2000,18.6.2001,15.1.2003,4.12.2003,15.7.2004,28.10.2004,7.4.2005,4.10.2005,23.12.2005,18.7.2006,11.12.2006 और 9.8.2007 पर आयोजित की गई।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 11.11.1997,13.11.2000 और 18.6.2001 पर आयोजित डी. पी. सी. की समीक्षा 10.2.2003 पर एक समीक्षा डी. पी. सी. आयोजित की गई थी।आई. टी. ओ. के पदों पर पदोन्नत 430 उम्मीदवारों में से अनुसूचीत जाति श्रेणी के 80 उम्मीदवारों को उनकी वरिष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार पदोन्नत किया गया था और केवल दो अनुसूचीत जाति उम्मीदवारों, श्री हंस राज और श्री राम दास बंगा को डी. पी. सी. के अनुसार आरक्षण के नियम का पालन करते हुए शिथिल मानक का लाभ देकर आई. टी. ओ. के रूप में पदोन्नत किया गया था।

(8) यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रोस्टर के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों को भरने के बाद आरक्षण पूरा हो जाता है।रोस्टर आगे काम नहीं कर सकता है और इसे रोका जाना चाहिए।इसके बाद कैडर में खाली होने वाले किसी भी पद को उस श्रेणी के किसी ऐसे व्यक्ति को पदोन्नत करके भरा जाना है, जिसने रिक्तता का कारण बना हो, चाहे वह सामान्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हो।आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अनुसार 'स्वयं की योग्यता' की अवधारणा 10.2.1995 से संबंधित है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1) के मामले में व्यापक निर्देश जारी किए थे।(9) आधिकारिक प्रतिवादी ने दिनांक 20.11.2008 का अतिरिक्त शपथ पत्र भी दायर किया और स्थिति को दोहराया कि रिक्ति आधारित रोस्टर को डाक आधारित रोस्टर में परिवर्तित किया जा रहा है और साथ ही दिनांकित 2.7.1997,11.7.2002 और 31.1.2005 के निर्देशों को जारी करने का तथ्य भी।

(10) 11.12.2008 पर, न्यायाधिकरण ने आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर O. A. को यह मानते हुए अनुमति दी कि 2.7.1997 दिनांकित निर्देशों को 11.7.2002 (R-1) दिनांकित निर्देशों द्वारा संशोधित किया गया था, जो प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक हैं और इसलिए, जारी करने की तारीख, अर्थात् 2.7.1997 से संबंधित होंगे।उस आधार पर, न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है कि डब्ल्यू. ई. एफ. 2.7.1997 आरक्षित श्रेणी के सभी सदस्यों को पदोन्नत किया जाना आवश्यक है, चाहे वह आरक्षित रोस्टर बिंदु पर हो या उनकी 'अपनी योग्यता' पर, जो सामान्य श्रेणी की रिक्तियों का उपभोग करेगा, अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के अन्य सदस्यों के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु पद छोड़ देगा, जो ग्रेड नहीं बना सकते हैं।

(1) 1995 (2) एससीसी 745

योग्यता के आधार पर।न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि पद आधारित रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के बारे में आधिकारिक प्रतिवादी का रुख गलत है।'स्वयं की योग्यता' की अवधारणा 1995 से लागू है जब आर. के. सभरवाल के मामले (ऊपर) में निर्णय दिया गया था।तदनुसार, न्यायाधिकरण ने आधिकारिक प्रतिवादी को पदोन्नति पर पुनर्विचार करने के लिए आगे के निर्देशों के साथ परमादेश जारी किया है कि यदि सत्यापन पर यह पाया जाता है कि वरिष्ठता सूची और अनुसूचित जाति रोस्टर रजिस्टर गलत है और अनुसूचित जाति श्रेणी का प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से कम है, तो आधिकारिक उत्तरदाता विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर अपनी वरिष्ठता के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के कार्य संचय को भरेंगे और अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों को आयकर अधिकारी के पदों पर आगे सभी परिणामी लाभों के साथ नियत तारीख से पदोन्नत किया जाएगा।हालांकि, ऐसा करते समय, प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।(11) आयकर संवाददाता संख्या 6 के मुख्य आयुक्त ने आई. टी. ओ. के संवर्ग में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों की एक सूची तैयार की और उक्त अधिकारियों (पी-10) के संबंध में सतर्कता विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त को भेज दी।

(12) याचिकाकर्ता, जो सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने पहले 2009 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4537 दायर किया था, जिसे इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ 2 (पी-7) पर निपटाया था, जिसमें उन्हें अपनी शिकायतों को उजागर करते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।उनकी शिकायत यह थी कि उनकी सुनवाई नहीं हुई है और वे न्यायाधिकरण के समक्ष आवश्यक पक्षकार थे।

(13) इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने ओ. ए. संख्या 519/पी. बी./2007 में 2009 की आर. ए. संख्या 24 वाला समीक्षा आवेदन दायर किया।न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 7.5.2009 के आदेश के माध्यम से समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने तत्काल याचिका में 7.5.2009 के आदेश को भी चुनौती दी है।उनकी शिकायत यह है कि 11.7.2002 (R-1) दिनांकित निर्देश आरक्षण करने से पहले अनिवार्य पूर्व शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं।उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आधार पर इस बात पर जोर दिया गया है कि- समाप्त करने के लिए भारत संघ के सक्षम अधिकारियों द्वारा एक अभ्यास किया जाना आवश्यक है।

कि अनुसूचित जाति वर्ग के पिछड़ेपन के संबंध में आरक्षण के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं; और (ख) उन्हें पदोन्नति देने से किसी भी तरह से प्रशासनिक दक्षता और कार्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।मुख्य रूप से, यह याचिका दायर की गई है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और दिनांकित निर्देश बिना किसी आधार के जारी किए गए हैं, जो अनुच्छेद 16 (4ए) द्वारा शामिल कानून के जनादेश के खिलाफ है और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा व्याख्या की गई है।

एम. नागराज बनाम भारत संघ (2)।

(14) यह उल्लेख करना उचित है कि दलीलों को सुनने के बाद 20.7.2010 के आदेश के माध्यम से निर्णय सुरक्षित रखा गया था।हालांकि, इससे पहले कि फैसला सुनाया जा सके, निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की पदोन्नति और उपचार में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर दिनांक 10.8.2010 (P-16) पर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जो इस प्रकार हैः

" अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह 11 जुलाई 2002 के इस विभाग के ओ. एम. सं. 36028/17/2001-संस्थान (आर. एस.) का उल्लेख करे, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, न कि आरक्षण या योग्यता में छूट के कारण, आरक्षण सूची के अनारक्षित अंकों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, न कि आरक्षित अंकों के खिलाफ।बाद में विभाग के ओ. एम. संख्या 36028/17/2001-ए. एस. टी. टी. द्वारा यह स्पष्ट किया गया।() दिनांक 31.1.2005 कि उपरोक्त संदर्भित O. M. 11.7.2002 से प्रभावी हुआ और स्वयं की योग्यता की अवधारणा गैर-चयन विधि द्वारा की गई पदोन्नति पर लागू नहीं हुई।

2. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मद्रास पीठ ने ओ. ए. सं. 900/2005 (एस. कलुगासलामूर्ति बनाम/एस. भारत संघ और अन्य) में ओ. एम. सं. 36928/17/2001-ए. एस. टी. को दरकिनार कर दिया है।(आर. एस.) दिनांक 31.1.2005 और यह अभिनिर्धारित किया कि जब किसी व्यक्ति का चयन उसकी अपनी वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ उस पर विचार करने और उसे गिनने की गुंजाइश उत्पन्न नहीं होती है।

(2) 2006 (8) एससीसी 212

मद्रास के उच्च न्यायालय ने यू. ओ. आई. बनाम एस. एस. कलुगासलामूर्ति (2007 का डब्ल्यू. पी. संख्या 15926) के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है।

3. उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों के आलोक में मामले की जांच की गई है और ऊपर निर्दिष्ट ओ. एम. सं. 36028/17/2001 एस्टेट (आर. एस.) दिनांक 31.1.2005 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण या योग्यता में छूट के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त एससी/एसटी उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित अंकों के साथ समायोजित किया जाएगा, चाहे पदोन्नति चयन विधि द्वारा की गई हो या गैर-चयन विधि।ये आदेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस दिन पद आधारित आरक्षण शुरू किया गया था।

4. इन निर्देशों को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।”

(15) यह स्पष्ट है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन न्यायाधिकरण की मद्रास पीठ द्वारा पारित आदेश के कथित अनुपालन में जारी किया गया है, जो ओ. ए. सं. 900/2005 में पारित किया गया है, जिसमें पहले के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.1.2005 को वापस लिया गया है।दिनांक 10.8.2010 (P-16) के कार्यालय ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनकी 'अपनी योग्यता और वरिष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, न कि आरक्षण या योग्यता में छूट के कारण, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पदोन्नति चयन विधि या गैर-चयन विधि द्वारा की जाती है, रोस्टर के अनारक्षित अंकों के साथ समायोजित किया जाएगा।उक्त स्पष्टीकरण को पूर्वव्यापी रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 2.7.1997 से प्रभावी बनाया गया है जब पद आधारित आरक्षण शुरू किया गया था।

(16) दिनांकित कार्यालय ज्ञापन को अभिलेख पर लाने के लिए और इसे चुनौती देने के लिए या तो एक अलग याचिका दायर आदेशके या लंबित याचिका में संशोधन आदेशके एक अनुरोध किया गया था।तदनुसार, पंजीकरण को मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।इसके बाद, इस अदालत की उचित अनुमति के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल याचिका में संशोधन किया गया।(17) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव आत्मा राम ने तर्क दिया है कि तत्काल मामले में मूल आवेदन 9.7.2007 पर दायर किया गया था और डेढ़ साल की अवधि से आगे कोई आदेश पारित नहीं किया गया था,

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985 की खंड 21 को चुनौती दी जा सकती थी।निवेदन यह है कि ओ. ए. देरी और बाधाओं से बुरी तरह प्रभावित है।इसलिए, यह उक्त अधिनियम की खंड 21 द्वारा बनाई गई वैधानिक बाधा से ग्रस्त है। श्री आत्मा राम ने यह भी आग्रह किया कि मूल आवेदक-प्रतिवादी निरीक्षक के पद पर तीन साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 4.12.2004,13.8.2004 और 2 4.12.2004 पर ITO के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएं।वे पात्रता प्राप्त करने से पहले की गई किसी भी पदोन्नति को चुनौती नहीं दे सकते थे।अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है

चत्तर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (3); रोशनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (4), और भारत संघ बनाम एन. वाई. आप्टे (5) के मामले।

(18) विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि आयकर उपायुक्त द्वारा पारित 14.9.2007 (R-3) और दिनांकित 29.11.2007 (R-4) के आदेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप OA को निष्फल बना दिया गया है।इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने पियरे लाल बनाम भारत संघ (6) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 7 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है।उन्होंने आगे कहा कि ओ. ए. में संशोधन करने का विकल्प, जो मूल आवेदकों के लिए उपलब्ध था, न तो न्यायाधिकरण के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष लिया गया है।इसलिए, ओ. ए. को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

(19) विद्वान अधिवक्ता के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जिसमें कहा गया है कि 14.9.2007 और 29.11.2007 (R-3 और R-4) दिनांकित कार्यालय आदेशों को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत है क्योंकि इन आदेशों ने वही दृष्टिकोण अपनाया है जो आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।श्री आत्मा राम ने तर्क दिया कि एक अमान्य आदेश को भी अनिवार्य रूप से चुनौती दी जानी चाहिए जैसा कि पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह (7) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता, जो सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं, न्यायाधिकरण के समक्ष आवश्यक पक्ष थे, जहां तक नियुक्ति करने के लिए

(3) AIR 1997 SC 303

(4) AIR 1998 SC 3268

(5) AIR 1998 SC 2651

(6) AIR 1975 SC 650

(7) JT 1991 (3) SC 465

एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की 'अपनी योग्यता' का आधार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को बदलने के बाद ही संभव हो सकता था। उन्हें उलटफेर का सामना करना पड़ता या अन्यथा वे रास्ते पर होते। तर्क का एक अन्य अंग यह है कि न्यायाधिकरण ने यह कहकर आत्यन्तिक रूप अनुचित दृष्टिकोण अपनाया है कि याचिकाकर्ताओं को निर्णय को लागू करते समय अधिकारियों द्वारा सुना जाना था।

(20) विद्वान वकील ने एम. नागराज (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आरक्षण देने की शक्ति से पहले एक अभ्यास किया जाना चाहिए जो प्रत्येक विभाग के प्रत्येक संवर्ग के संबंध में किया जाना चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि आरक्षण देने के लिए पिछड़ेपन, लोक प्रशासन में समग्र प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए ऐसे वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के कारण मजबूर करने वाले कारण हैं। इस संबंध में उन्होंने रिट याचिका के पैरा 19 में किए गए कथनों और प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के साथ-साथ निजी प्रतिवादी के लिखित बयान के संबंधित पैरा 19 के जवाब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह विशेष रूप से कहा गया है कि आरक्षण को इस निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए कोई कवायद नहीं की गई कि अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं। उनके निवेदन का समर्थन आदेश के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने एम. नागराज के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 103 से 108 और पैरा 114 से 118 और 122 पर भरोसा रखा है। (21) श्री राजीव आत्मा राम ने यह भी तर्क दिया है कि पदोन्नति के संबंध में 'स्वयं योग्यता' निर्देश पहली बार 11.7.2002 पर जारी किए गए हैं और विशेष रूप से दिनांकित 31.1.2005 (R-2) पत्र के माध्यम से संभावित रूप से काम करने तक सीमित हैं। इसलिए, न्यायाधिकरण इन निर्देशों को पूर्वव्यापी तिथि के साथ संचालित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता था, यानी 17.6.1995 से जब 85 वां संशोधन लागू किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि अन्यथा भी कानून के एक सामान्य सिद्धांत को प्रबल करना होगा कि कार्यकारी निर्देश कभी भी पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है।

संत राम बनाम राजस्थान राज्य (8) के मामले में न्यायालय।

(22) विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि भले ही निर्देशों को लागू किया जाता है, लेकिन न्यायाधिकरण 'अपनी योग्यता पदोन्नति' की अवधारणा पर विचार करने में बुरी तरह विफल रहा है। वर्तमान की तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में

(8) ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1910

मामले में, प्रतिवादी जो न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदक थे, वे निर्देशों के लाभ का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें या तो रोस्टर बिंदु पर 2-3 पदोन्नति दी गई है या उन्हें योग्यता में छूट दी गई है जैसे कि अंक प्राप्त करना आदि। अपने निवेदन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने भारत संघ बनाम सत्य के मामलों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है।

प्रकाश (9) और जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (10)।जो भी हो,

निर्देश स्वयं उपरोक्त स्थिति को प्रस्तुत करते हैं।(23) उन्होंने लिखित बयान के रूप में आयकर उपायुक्त के शपथ पत्र का भी उल्लेख किया है।पैरा 4 के उप-पैरा IX और X के अनुसार, विभिन्न अधिकारियों का विवरण आगे के स्पष्टीकरण के साथ दिया गया है कि क्या उन्होंने मानक में ढील देकर रोस्टर बिंदु पर पदोन्नति का लाभ उठाया है।न्यायाधिकरण (पी-3) के समक्ष दायर किए गए अपने प्रत्युत्तर दिनांक 6.3.2008 में प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विवाद नहीं किया गया था।प्रत्युत्तर के संबंधित पैरा में केवल यह कहा गया है कि विभाग द्वारा दायर लिखित बयान की सामग्री को गलत होने से इनकार किया गया है और याचिका की सामग्री को दोहराया गया है।यहां तक कि प्रारंभिक प्रस्तुतियों में भी, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा किए गए उपरोक्त कथनों का कोई खंडन नहीं है।2008 के प्रविष्टि सं. 720 में, केवल रोस्टर रजिस्टर को अभिलेख पर रखा गया है, जो न्यायाधिकरण द्वारा किए गए अवलोकन के लिए आधार है कि आरक्षित श्रेणी के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।उपरोक्त विधायी कार्य है और इसे न्यायाधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता था।विद्वान वकील ने 'अपने योग्यता संवर्धन' पर निम्नलिखित निर्णयों पर भी भरोसा किया हैः

उदय प्रताप सिंह बनाम बिहार राज्य (11); भारत संघ बनाम सत्य प्रकाश (12); जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (13); भारत संघ बनाम रमेश राम (14); भारत संघ बनाम भारत भूषण (15)।

(9) 2006 (3) एसएलआर 56

(10) जेटी 2010 (1) एससी 177

(11) जेटी 1994 (6) एससी 344

(12) जेटी 2006 (3) एसएलआर 56

(13) जेटी 2010 (1) एससी 177

(14) जेटी 2010 (5) एससी 212

(15) 2008 (7) एसी (दिल्ली) 420

(24) श्री आत्मा राम ने एक और मुद्दा उठाया है, जिसका नाम है, कि बहुत साल पहले की गई नियुक्ति/पदोन्नति को अब शांत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को चौदह साल पहले आयकर अधिकारियों के पद पर यानी वर्ष 1996 में पदोन्नत किया गया था और इसलिए, न्यायसंगत विचार पर तय पदोन्नति को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने कृष्ण गोपाल बनाम हरियाणा राज्य (16) के मामले में दिए गए इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले और रोशनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (17) के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है। (25) विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा कथित रूप से जारी किया गया 10.8.2010 (P-16) का कार्यालय ज्ञापन, वास्तव में, निदेशक द्वारा जारी किया गया है जैसा कि उपरोक्त दस्तावेज़ के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार सरकार के कार्य को संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा अभिनिर्धारित तरीके से किया जाना आवश्यक है, जिन्हें 'भारत सरकार (कार्य का लेन-देन) नियम, 1961' (संक्षिप्तता के लिए, 'कार्य का लेन-देन नियम') के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त नियमों को भी अभिलेख (पी-17) में रखा गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यापार लेन-देन नियमों के नियम 3 के अनुसार, मंत्रालयों द्वारा व्यवसाय का निपटान अन्य विभागों के परामर्श से किया जाना चाहिए और मामलों को प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और इसकी समितियों और राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 (संक्षिप्तता के लिए, 'व्यवसाय का आवंटन नियम') के तहत किसी विभाग को आवंटित सभी व्यवसायों का निपटान प्रभारी मंत्री के विशेष निर्देशों के सामान्य द्वारा या उनके तहत किया जाना चाहिए। तर्क यह है कि व्यापार लेन-देन नियमों के नियम 4 के अनुसार अंतर-विभागीय परामर्श आवश्यक होगा जहां एक से अधिक विभाग शामिल हैं। विद्वान वकील ने पैरा 35 (i) और (ii) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जहां विशिष्ट अभिकथन किए गए हैं कि 10.8.2010 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन व्यापार नियमों के लेनदेन के अनुसार और उसे आगे बढ़ाने के लिए जारी नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 (भारत संघ और मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा) द्वारा उपरोक्त कथनों के लिए दायर लिखित बयान से पता चलता है कि ऐसा आदेश जारी करने में निदेशक की अक्षमता के बारे में दावा

(16) 2010 (1) एस. सी. टी. 538 (17) 1998 (8) एस. सी. सी. 59

विवादित नहीं किया गया है।इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर लिखित बयान को भी हमें पढ़ा गया है जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पैरा 35 में किए गए स्पष्ट अभिकथनों का विरोध नहीं किया गया है, जहां तक ऐसा ज्ञापन जारी करने के लिए निदेशक की क्षमता का संबंध है।प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा व्यवसाय नियमों के आवंटन के आधार पर लिए गए रुख का उल्लेख करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि उक्त नियम (आर-2/2) केवल व्यवसाय के आवंटन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवसाय का लेन-देन किया जाना है, उसे व्यापार नियमों के लेनदेन (पी-17) द्वारा स्पष्ट किया जाता है।संक्षेप में प्रस्तुतिकरण यह है कि संविधान के अनुच्छेद 73 के आधार पर कार्यकारी शक्ति केवल सरकार में निहित है न कि निदेशक में जो केवल सरकार का एक अधिकारी है।तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत सरकार के किसी भी अधिकारी को न तो कोई स्पष्ट प्रतिनिधि मंडल है, न ही किसी निदेशक को।

(26) श्री आत्मा राम द्वारा किया गया दूसरा निवेदन यह है कि किसी भी मामले में 10.8.2010 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन को केवल एक कार्यकारी आदेश के रूप में माना जाना चाहिए और यह संभावित रूप से काम कर सकता है और इसका कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार कार्यकारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव रखने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है।इस संबंध में उदय प्रताप सिंह के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

बनाम बिहार राज्य (18)।

(27) प्रतिवादी संख्या 5 और 6, अर्थात् भारत संघ और मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा लिया गया प्रमुख रुख यह है कि दिनांकित 11.7.2002 निर्देश संभावित हैं और यह पहली बार 'स्वयं योग्यता पदोन्नति' के सिद्धांत को मान्यता देता है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इन निर्देशों को 2.7.1997 पर जारी किए गए पहले के निर्देशों का स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता है।तदनुसार, यह अनुरोध किया गया है कि न्यायाधिकरण 11.7.1996 पर या संविधान में संशोधन किए जाने की तारीख से जारी किए गए निर्देशों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दे सकता है।पूरी स्थिति को स्पष्ट आदेश के लिए, 31.3.2005 दिनांकित निर्देश भी जारी किए गए हैं जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि 11.7.2002 दिनांकित निर्देश स्पष्ट प्रकृति के हैं।हालाँकि, रिट याचिका के पैरा 3 के जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि सामान्य श्रेणी के सदस्य अपने पदोन्नति आदेश को रद्द करने/रद्द करने के कारण प्रभावित होने के लिए बाध्य थे और यह कि नहीं

(18) जेटी 1994 (6) एससी 344

सामान्य श्रेणी के सदस्य, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। केवल आधिकारिक प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को ही पक्षकार बनाया गया था।

(28) श्री ए. एस. ग्रेवाल और सुश्री रेणु बाला शर्मा उन दलीलों को स्वीकार करते हैं जो प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के जवाब में प्रस्तुत की गई हैं। सुश्री रेणु बाला शर्मा ने बताया है कि दिनांक 15.9.2010 (R-1) के पत्र के पैरा (iii) में कहा गया है कि कार्यालय ज्ञापन जारी करने से पहले सचिव (कार्मिक) की मंजूरी प्राप्त की गई थी और इसलिए, यह तर्क कि निदेशक द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, कानून की जांच में नहीं टिकेंगे और दिनांकित 10.8.2010 कार्यालय ज्ञापन एक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है जो इसे जारी करने के लिए सक्षम है।

(29) निजी प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक जवाब दाखिल किया और निजी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा अलग से लिखित बयान दायर किया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. के. तिवारी ने तर्क दिया है कि राज कुमार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दिनांकित 10.8.2010 के निर्देशों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

और अन्य बनाम हेम राज सिंह चौहान (19), और एकमात्र उपाय

न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर करना है। श्री तिवारी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं को न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ समीक्षा आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे मुकदमे में पक्षकार नहीं थे और वे वी. पी. श्रीवास्तव बनाम एम. पी. अधिस्थिति (20) के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 14 और 18 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार प्रभावित व्यक्ति भी नहीं थे। श्री तिवारी ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं हैं क्योंकि एक प्रभावी आदेश हमेशा उनकी अभाव में पारित किया जा सकता है, विशेष रूप से जब न्यायाधिकरण द्वारा उनके हित का ध्यान रखा गया है, जिसमें आधिकारिक प्रतिवादी को उनके अधिकारों को छूने से पहले नोटिस जारी करना करने की आवश्यकता होती है। श्री तिवारी ने कहा है कि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादी से कनिष्ठ हैं और वर्तमान रिट याचिका कुछ और नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह रिट याचिका एससी/एसटी उम्मीदवारों के दावे में देरी करने के लिए दायर की गई है, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है

(19) 2010 (4) एससीसी 554 (20) 1996 (7) एससीसी 759

पिछले 16 वर्षों से आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का उनका उचित दावा।न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन करते हुए तिवारी ने कहा कि नियमों के अनुसार आयकर अधिकारी के सभी पदों को भरा जाना आवश्यक है क्योंकि अतिरिक्त उम्मीदवारों का कार्य संचय जारी है।उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3 आयकर निरीक्षक हैं और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित हैं।वे एससी/एसटी श्रेणी की रिक्तियों का सेवन किए बिना अपनी योग्यता के आधार पर आयकर अधिकारी ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

(30) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर किए गए समान उत्तर में भी इसी तरह का रुख अपनाया गया है। हालांकि, श्री दीपक सिब्बल ने व्यवसाय के आवंटन (आर-2/2) से संबंधित नियमों के आधार पर तर्क दिया है कि दिनांकित ज्ञापन एक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है जो पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि सचिव (कार्मिक) की मंजूरी प्राप्त की गई थी।

(31) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उनकी सहायता से पेपर बुक के अवलोकन के बाद, विशेष रूप से न्यायाधिकरण के फैसले पर, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सबसे बुनियादी मुद्दे का जवाब देने की आवश्यकता है।यह अच्छी तरह से तय है कि सभी कानूनों को संविधान से मार्गदर्शन लेना चाहिए।वर्तमान मामला दशकों पुराना विवाद प्रस्तुत करता है कि क्या पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान भारत के राज्य/संघ द्वारा बिना कोई शर्त लगाए किया जा सकता है।इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (21) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पूरे विवाद का निपटारा किया। उस मामले में संविधान पीठ ने किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्तियों/पीठों में आरक्षण का प्रावधान करने की राज्य की शक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16 (4) की व्याख्या की, जिसका राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था।इंद्र साहनी के मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा तय किया गया एक अन्य प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या इस तरह की शक्ति को पीठोन्नति के पीठ पर प्रावधान करने के लिए बढ़ाया गया है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 16 (4) पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान की अनुमति नहीं देता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के नियम को केवल संभावित रूप से प्रभावी किया जाना था और यह पहले से ही नियमित आधार पर या किसी अन्य आधार पर की गई पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।संविधान पीठ द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि पीठोन्नति के मामले में जहां भी आरक्षण प्रदान किया जाता है, वह था -

(21) 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217

निर्णय की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए जारी रखा गया और सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त अवधि के भीतर अपने नियमों में संशोधन करने के लिए समय दिया गया।हालांकि, संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1995 के आधार पर, अनुच्छेद 16 (4 ए) को जोड़ा गया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोका गया है, जो उनकी राय में सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।उपरोक्त संशोधन 17.6.1995 पर आया।(32) एक अन्य प्रश्न जिस पर भारत संघ बनाम विरपाल सिंह के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस हुई थी

चौहान (22) और अजीत सिंह जानुजा बनाम पंजाब राज्य (23)

इस बारे में कि क्या रोस्टर अंक पर आरक्षण द्वारा से त्वरित पदोन्नति का लाभ इस तरह के पदोन्नतियों को उनके वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के पदोन्नतियों पर वरिष्ठता देगा, हालांकि बाद में पदोन्नत किया गया।दूसरे शब्दों में, क्या रोस्टर पॉइंट प्रमोटर अपनी पदोन्नति की तारीख को पवित्र के रूप में बनाए रखने का हकदार था।उपरोक्त सिद्धांत को 'पकड़ सिद्धांत' के रूप में जाना जाने लगा।दोनों निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षण या रोस्टर अंक द्वारा से त्वरित पदोन्नति का लाभ सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ पदोन्नतियों को वरिष्ठता प्रदान करने में नहीं होगा, जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था।जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य (24) के मामले में 3-न्यायाधीशों की पीठ ने एक विपरीत ध्यान दें अपनाया।उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती नियमों पर निर्भरता रखी, जिसमें सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रावधान किया गया था।उपरोक्त दृष्टिकोण को संविधान पीठ ने अजीत सिंह (द्वितीय) के मामलों में खारिज कर दिया था।

बनाम पंजाब राज्य (25) और राम प्रसाद बनाम डी. के. विजय (26)।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विरपाल सिंह चौहान (ऊपर) और अजीत सिंह जानुजा (ऊपर) के मामलों में दिए गए अपने पहले के फैसलों में लिए गए विचार की पुष्टि की गई थी।

(22) 1995 (6) एससीसी 684 (23) 1996 (2) एससीसी 715 (24) 1997 (6) एससीसी 538 (25) 1999 (7) एससीसी 209 (26) 1999 (7) एससीसी 251 855

लछमी नारायण गुप्ता और अन्य बनाम जरनैल सिंह

और अन्य (एम. एम. कुमार, जे.)

(33) यह विवाद तब फिर से खुल गया जब संसद ने संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 को लागू करके संविधान में संशोधन किया, ताकि आरक्षित श्रेणियों डब्ल्यू. ई. एफ. 17.6.1995 को परिणामी वरिष्ठता का लाभ बहाल किया जा सके।77 वें और 85 वें संशोधनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस मामले का फैसला एम. नागराज (उपरोक्त) के मामले में किया गया था।संविधान पीठ ने 77 वें, 81 वें, 82 वें और 85 वें संशोधन अधिनियमों और उनके पूर्वव्यापी प्रभाव को बरकरार रखा।हालाँकि, यह कुछ शर्तों को लागू करने के लिए आगे बढ़ा।वर्तमान मामले में यह न्यायालय उन शर्तों से संबंधित है जो एम. नागराज के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के निम्नलिखित उद्धरणों के अवलोकन से स्पष्ट हैं:

“ संविधान पीठ निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ी -

क. (i) वैधता, (ii) व्याख्या और (iii) 77 वें, 81 वें, 82 वें और 85 वें संविधान संशोधन अधिनियमों का कार्यान्वयन; और,

बी. उसके अनुसरण में की गई कार्रवाई जिसमें सार्वजनिक रोजगार में पदोन्नति से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को उलटने और पूर्वव्यापी प्रभाव से उनके आवेदन की मांग की गई थी।

निर्धारण के लिए जो प्रमुख मुद्दा उठा वह यह था कि क्या विवादित संवैधानिक संशोधनों के आधार पर संसद की शक्ति का इतना विस्तार किया गया था कि किसी भी या सभी संवैधानिक सीमाओं और आवश्यकताओं को समाप्त किया जा सके।संदर्भ का उत्तर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत के अनुप्रयोग के मामले में, दोहरे परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा, अर्थात्, "चौड़ाई परीक्षण" और "पहचान परीक्षण"।संबंधित राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग का न्यायनिर्णयन करने के लिए परीक्षण और शक्ति की व्यापकता का न्यायनिर्णयन करने के लिए परीक्षण दो अलग-अलग परीक्षण हैं जो दो अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोणों की गारंटी देते हैं।

सबसे पहले, यह अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) को पेश करने और संशोधित करने वाले विवादित संशोधनों के तहत शक्ति की चौड़ाई है जिसका परीक्षण किया जाना है।इसलिए "चौड़ाई परीक्षण" को लागू करना होगा।

शक्ति की "चौड़ाई" की सीमाएँ, अर्थात् (1) 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक सीमा), (2) क्रीमी लेयर (गुणात्मक बहिष्करण) का सिद्धांत, (3) बाध्यकारी कारण, अर्थात् पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, और (4) समग्र प्रशासनिक दक्षता विवादित संशोधनों द्वारा समाप्त नहीं की जाती हैं। अनुच्छेद 335 के तहत संविधान की सीमा में ढील दी गई है और इसे मिटाया नहीं गया है। ये विवादित संशोधन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित हैं और एक ओर अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच उप-वर्गीकरण है

इंद्र साहनी में आयोजित हाथ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217,

और अंतर्निर्मित अवधारणा के साथ पोस्ट-आधारित रोस्टर की अवधारणा

आर. के. सभरवाल, 1995 (2) एस. सी. सी. 745 में आयोजित प्रतिस्थापन

उनका भी सफाया नहीं किया गया है। (जोर दिया गया)

दूसरा, "पहचान" की कसौटी को लागू करते हुए विवादित संशोधनों द्वारा संविधान में समानता संहिता (अनुच्छेद 14,15 और 16) की मौजूदा संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। समानता, न्यायाधीश और दक्षता राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग के तरीके की सीमाएँ हैं। विवादित संशोधनों द्वारा इनमें से किसी भी सीमा को नहीं हटाया गया है। धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि जैसे किसी भी सिद्धांत का, जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं, विवादित संविधान संशोधनों द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। किसी भी विवादित संशोधन से संविधान के मूल ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जिन विवादित संवैधानिक संशोधनों द्वारा अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) को जोड़ा गया है, वे अनुच्छेद 16 (4) से आते हैं। वे अनुच्छेद 16 (4) की संरचना को नहीं बदलते हैं। अनुच्छेद 16 (4 -ए) और 16 (4-बी) परिकल्पना की गई योजना का एक समग्र हिस्सा हैं और अनुच्छेद 16 (4) के पैटर्न में आते हैं, और जब तक उन अनुच्छेदों में उल्लिखित मापदंडों का राज्यों द्वारा पालन किया जाता है, तब तक आरक्षण के प्रावधान को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वे स्वभाव से उपचारात्मक होते हैं। अनुच्छेद 16 (4) को एक सामाजिक वर्ग के खिलाफ पिछले ऐतिहासिक भेदभाव के लिए एक उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) दोनों इंदिरा साहनी, 1992 सप्लीमेंट (3) एससीसी 217 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रेरित हैं।

और आर. के. सभरवाल (1995) 2 एस. सी. सी. 745।इनका संविधान के अनुच्छेद 17 और 46 के साथ संबंध है।अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) अनुच्छेद 16 (4) के तहत समानता के सिद्धांत के तहत वर्गीकरण हैं।इसलिए, अनुच्छेद 16 (4-बी) द्वारा परिकल्पित वर्गीकरण को बरकरार रखा गया है।

तीसरा, प्रत्येक विवेकाधीन शक्ति अनिवार्य रूप से भेदभावपूर्ण नहीं है।केवल विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने से समानता का उल्लंघन नहीं होता है।जिन लोगों को यह प्रदान किया जाता है, उनके द्वारा मनमाने ढंग से इसका उल्लंघन किया जाता है।यह "निर्देशित शक्ति" का सिद्धांत है।यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि जिन लोगों को शक्ति प्रदान की गई है, उनके द्वारा मनमाने ढंग से प्रयोग करने की स्थिति में, अदालतों द्वारा इसे ठीक किया जाएगा।अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) में शामिल किए गए सक्षम प्रावधानों के पीछे यह मूल सिद्धांत है।ये सक्षम करने वाले प्रावधान प्रकृति में अनुज्ञात्मक हैं।वे आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे राज्यों पर छोड़ देते हैं।यदि उपयुक्त सरकार अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 335 के मापदंडों को ध्यान में रखे बिना आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस तरह के कानून को रद्द कर देगा।संशोधित शक्ति के प्रयोग के क्षेत्र को विवादित संशोधनों द्वारा बरकरार रखा गया है, क्योंकि विवादित संशोधनों में केवल सक्षम प्रावधान पेश किए गए हैं क्योंकि योग्यता, दक्षता, पिछड़ेपन और अपर्याप्तता की पहचान और माप शून्य में नहीं की जा सकती है।अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) को सकारात्मक भेदभाव के साथ समानता को संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।चाहे वह आरक्षण हो या मूल्यांकन, दोनों में से किसी एक में अत्यधिकता के परिणामस्वरूप संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होगा। हालाँकि, यह अभ्यास प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।संवैधानिक कानून अवधारणाओं के विकास का कानून है।उनमें से कुछ सामान्य हैं और कुछ की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) के सक्षम प्रावधान उस अवधारणा से संबंधित हैं, जिसकी पहचान की जानी चाहिए और दक्षता के मामले में महत्व दिया जाना चाहिए, जो केवल तथ्य स्थिति पर निर्भर करता है और अनुच्छेद 14 में समानता के संक्षिप्त सार सिद्धांत पर नहीं, जैसा कि अनुच्छेद 15 और 16 में विस्तार से बताया गया है।कानून के समक्ष समानता, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 14 के पहले भाग द्वारा दी गई है, एक नकारात्मक अवधारणा है।

जबकि दूसरा भाग एक सकारात्मक अवधारणा है जो तथ्य स्थिति के आधार पर बराबरी के उपायों को मान्य करने के लिए पर्याप्त है। (जोर दिया गया)

विवादित प्रावधान प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं। राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और पदोन्नति में आरक्षण देना चाहते हैं, तो राज्यों को अनुच्छेद 335 द्वारा इंगित दक्षता के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। दक्षता, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की अवधारणाओं की पहचान और माप की आवश्यकता है। यह अभ्यास आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वह अभ्यास कई कारकों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सक्षम प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी दावा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। इन परस्पर विरोधी दावों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे अनुकूलित किया जाना चाहिए, यह केवल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में प्रचलित स्थानीय स्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। यदि संबंधित राज्य पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता की पहचान करने और मापने में विफल रहता है तो उस स्थिति में आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि इसके आरक्षण प्रावधान से 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का भंग न हो या क्रीमी लेयर बहिष्करण की आवश्यकता समाप्त न हो या आरक्षण को अनिश्चित काल तक बढ़ाया न जा सके। अंततः वर्तमान विवाद राज्य सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के बारे में है, कि क्या संबंधित राज्य ने आरक्षण देने के लिए इसे उचित ठहराने वाली परिस्थितियों की पहचान की है और उन्हें महत्व दिया है। जब राज्य नियंत्रण कारकों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में विफल रहता है तो अतिरेक आता है और इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाता है। प्रत्येक मामले में न्यायालय को संतुष्ट होना पड़ता है कि राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने में अपने विवेक का प्रयोग किया है और जिसके लिए संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में आवश्यक मात्रात्मक डेटा न्यायालय के समक्ष रखना होगा को संतुष्ट करना होगा।

न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत अनिवार्य सेवा की सामान्य दक्षता को प्रभावित किए बिना किसी विशेष वर्ग या पदों के वर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के कारण इस तरह के आरक्षण आवश्यक हो गए। (जोर दिया गया)

(34) उपरोक्त सीमाओं के अधीन, एम. नागराज के मामले (उपरोक्त) में संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995, संविधान (81 वां संशोधन) अधिनियम, 2000, संविधान (82 वां संशोधन) अधिनियम, 2000 और संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। यह भी देखा गया है कि बाध्यकारी कारण, अर्थात् पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता सभी संवैधानिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी। अनुच्छेद 16 (4) एक राज्य को उन मामलों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है जहां वह मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर संतुष्ट है कि एक वर्ग का पिछड़ेपन और रोजगार में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता मौजूद है। पिछड़ेपन को वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना चाहिए जबकि अपर्याप्तता को तथ्यात्मक रूप से मौजूद होना चाहिए। यही वह जगह है जहाँ न्यायिक समीक्षा आती है। हालाँकि, किसी दिए गए मामले में आरक्षण वांछनीय है या नहीं, एक नीति के रूप में, यह निर्णय करना न्यायालय के लिए नहीं है जब तक कि अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित मापदंडों को बनाए रखा जाता है।

(35) मात्रात्मक आंकड़ों की आवश्यकता के सवाल पर यह माना गया है कि आरक्षण जाति को पार करने के लिए आवश्यक है न कि इसे बनाए रखने के लिए। आरक्षण का उपयोग सीमित अर्थों में किया जाना चाहिए अन्यथा यह देश में जातिवाद को कायम रखेगा। आरक्षण की सीमा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है और इस संबंध में संबंधित राज्य को आरक्षण का प्रावधान करने से पहले प्रत्येक मामले में पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता का अस्तित्व दिखाना होगा। यदि किसी मामले में न्यायालय राज्य अधिनियम के तहत अत्यधिक आरक्षण पाता है तो ऐसा अधिनियम निरस्त होने योग्य होगा। प्रत्येक मामले में मात्रात्मक तिथि के आधार पर समानता, न्यायाधीश और योग्यता/दक्षता की संदर्भ विशिष्ट स्वतंत्र परिवर्तनीय आवश्यकताओं को संतुलित करने की आवश्यकता, अनुच्छेद 16 (1) के तहत व्यक्तिगत अधिकारों के परस्पर विरोधी दावे और पिछड़े वर्ग को दिए गए तरजीही व्यवहार को संतुलित करना होगा। इसलिए, प्रत्येक मामले में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर एक प्रासंगिक मामला बनाया जाना चाहिए जो राज्यवार मौजूद हो सकते हैं और समस्या हो सकती है

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर जाँच की जानी चाहिए।यह पता लगाने की आवश्यकता है कि गेहूं पिछड़े लोगों के लिए न्यायाधीश आगे के लिए समानता और पूरी प्रणाली के लिए दक्षता के बीच एक स्थिर संतुलन है।

(36) एम. नागराज के मामले (ऊपर) में फैसले के पैरा72,73,79,81 और 102 में, उनके लॉर्डशिप्स ने 'कैचअप' नियम से निपटा है, जिसे विरपाल सिंह चौहान के मामले (ऊपर) में फैसले के पैरा 26 में विस्तार से समझाया गया था।'कैचअप' नियम के अनुसार, फीडर ग्रेड में अपने वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में आरक्षण के आधार पर पदोन्नत एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अनिवार्य रूप से ऐसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में पदोन्नत श्रेणी में कनिष्ठ होगा।'कैच-अप' नियम अनुच्छेद 16 (1) से (4) में लागू नहीं है।'कैच-अप' नियम और 'परिणामी वरिष्ठता' की अवधारणा संवैधानिक आवश्यकताएं या सीमाएं नहीं हैं।ये सेवा न्यायशास्त्र से प्राप्त आरक्षण की सीमा को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं।वे संवैधानिक सिद्धांत नहीं हैं जो संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं।सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत संवैधानिक सीमाओं से अलग हैं।वे धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि जैसे स्वयंसिद्ध नहीं हैं। न ही इन अवधारणाओं को धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक संप्रभुता आदि जैसे स्वयंसिद्ध सिद्धांत का दर्जा दिया जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि 'परिणामी वरिष्ठता' की अवधारणा को शामिल करने से अनुच्छेद 16 (1) की संरचना नष्ट या निरस्त हो जाती है।इन अवधारणाओं का विस्मरण या इन अवधारणाओं को शामिल करने से संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा इंगित समानता संहिता में कोई बदलाव नहीं आता है।इसलिए, यह संसद की संशोधन शक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है और संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है।हालांकि, क्या परिणामी वरिष्ठता के साथ पहले की त्वरित पदोन्नति को महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं, ऐसे मामले हैं जो सार्वजनिक रोजगार में पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और प्रतिनिधित्व और सेवाओं की समग्र दक्षता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सरकार के विवेक के अंतर्गत आते हैं।(37) सूरज भान मीणा बनाम राजस्थान राज्य (27) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किया गया है, जिसमें उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया गया है।पूरे इतिहास को रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एम. नागराज के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांत बाध्यकारी हैं।यह पाया गया है कि 'कैच-अप' नियम और 'परिणामी' की अवधारणाएँ

(27) 2011 (1) एससीसी 467

'वरिष्ठता' न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं और उन्हें एक संवैधानिक सिद्धांत के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जाना था ताकि उन्हें संसद की संशोधन शक्ति से परे रखा जा सके, हालांकि, अनुच्छेद 16 (4ए) और 16 (4बी) की आवश्यकता को बनाए रखना होगा और उसमें इंगित परीक्षणों को पूरा करना होगा, जिसे पहचान के रूप में जांच के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 16 (4ए) के संदर्भ में कोई कवायद नहीं की गई थी, अदालतों ने अधिसूचनाओं को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

(38) जब एम. नागराज (उपरोक्त) और सूरज भान मीणा (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित अधिसूचनाओं, अर्थात् 11.7.2002,31.1.2005 (R-1 और R-2) और अगली अधिसूचना दिनांक 21.1.2009 और 10.8.2010 पर लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के संबंध में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा दायर लिखित बयान में उपरोक्त तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।उपरोक्त तथ्य को प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा दिनांकित 15.9.2010 संचार में भी स्वीकार किया गया है।उपरोक्त संचार के पैरा (iv) में यह कहा गया है कि दिनांक 1 जारी करने से पहले भारत सरकार के तहत सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करने के लिए कोई कवायद नहीं की गई थी।उपरोक्त संचार को 2010 के सीएम नंबर 14865 के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है।अपर्याप्तता के संबंध में किसी भी सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में में और प्रशासन की दक्षता की समग्र आवश्यकता के संबंध में भी जहां आरक्षण किया जाना है और साथ ही उस वर्ग के पिछड़ेपन के लिए जिसके लिए आरक्षण की आवश्यकता है, इन अधिसूचनाओं को बनाए रखना संभव नहीं है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि ये अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 335 के साथ पठित अनुच्छेद 16 (4ए), 16 (4बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, जैसा कि एम. नागराज के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा व्याख्या की गई है।(39) शुद्ध परिणाम यह है कि दिनांकित 2.7.1997 कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं किया जा सका।हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कई अन्य तर्कों पर इस कारण से विचार नहीं कर रहे हैं कि मामले की जड़ों तक जाने वाला मुख्य मुद्दा उनके पक्ष में निर्धारित किया गया है और ऐसी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(40) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। 31.1.2005 (R-2) दिनांकित निर्देश 10.8.2010 (P-10) पर वापस ले लिए गए हैं।इसलिए, पदोन्नति में आरक्षण के विषय और अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साथ व्यवहार से संबंधित उन निर्देशों के संबंध में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।इसी तरह, दिनांकित 10.8.2010 (P-16) निर्देशों को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है क्योंकि वे एम. नागराज के मामले (ऊपर) और सूरज भान मीणा के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सीधे टकराव में हैं।यह भी निर्देश दिया जाता है कि आयकर निरीक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति पदोन्नति में आरक्षण के किसी भी तत्व के बिना की जाएगी।(41) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

एम. जैन

1336/एच. सी. आई. एल. आर.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur